(81)

PBR/अपील/शाजापुर/स्टांप/अपील/2017/2828

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर (केम्प उज्जैन) म.प्र.

प्रकरण क्रमांक /2017/ द्वितीय अपील

सुदीप जोशी पिता महेश नारायण जोशी, आयु 35 वर्ष, व्यवसाय– प्रायवेट नौकरी, निवासी– शुजालपुर, जिला– शाजापुर म.प्र.

.... अपीलांट

प्रार्थी अभिभाषक श्री
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 22-7-17
अधीक्षक 22.7.17
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

विरूद्ध

1. म.प्र.शासन द्वारा – उप पंजीयक शुजालपुर, जिला– शाजापुर म.प्र.

2– गोवर्धन लाल पिता पुरालाल पाटीदार, ग्राम भीलखेड़ा, तहसील शुजालपुर, जिला– शाजापुर, म.प्र.

.... रेस्पांडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 47 (क) उपधारा (5) स्टाप्त अधिनियम (म.प्र. लिखतों का न्यन मूल्यांकन निवारण) नियम –9

स्टाम्प कलेक्टर शाजापुर द्वारा प्रकरण क्र.3 –बी 105/47–क/2003–04 में पारित आदेश दिनांक 27.12.2014 तथा न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग, उज्जैन के प्रथम अपील क्रमांक– 155/ 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 04.05.2017 जिसकी सूचना अपीलार्थी को दिनांक 26.05.2017 को संसूचित होने से दिनांक 13.06.2017 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने से यह अपील माननीय न्यायालय में समयावधि में प्रस्तुत है

माननीय महोदय,

अपीलार्थी की ओर से द्वितीय अपील सादर निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य

अपीलार्थी ने रेस्पांडेंट क्र.2 से भूमि ग्राम भूगोर पटवारी हल्का नं. 22 राजस्व निरीक्षक 1 के शुजालपुर, जिला– शाजापुर के सर्वे नं. 118/2 रकबा 0.477 हेक्टेयर में से 25 गुणा 50 वर्गमीटर अर्थात 11.68 आरे भूमि 38,000/–रू. मूल्य में क्रय की गई। जिसमें स्टाम्प कमी 78,100/–रू. में, कमी बताकर 47–क(1) के अन्तर्गत बताकर रेस्पांडेंट क्र.1 ने कलेक्टर को भेजी गई।

निरंतर 2

81

(98)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-पीबीआर/अपील/शाजापुर/स्टाम्प/अधि./2017/2828

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-8-19	आवेदक व आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आदेश पंजिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 22/09/2017 से लगातार अनुपस्थित है। जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाये रखने में कोई रूचि नहीं है। अत: यह प्रकरण आवेदक की अरूचि में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। (महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य	